

प्रेस नोट दिनांक 16-09-2020

थाना देवबन्द पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा इंटरनेट कालिंग के माध्यम से रंगदारी माँगने वाले अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त किये गये दो मोबाइल व एक स्विफ्ट डिजायर कार सहित किया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि दिनांक 25-07-2020 को मौ० मकबरा कृष्णापुरम थाना देवबंद, सहारनपुर के रहने वाले श्री दीपक त्यागी को सुशील नाम के व्यक्ति द्वारा इंटरनेट कालिंग के माध्यम से 03 लाख रूपये की रंगदारी मांगी गई तथा न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु०अ०सं० 527/2020 धारा 386/511/506 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना देवबंद पुलिस के साथ-साथ क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया।

जिसके क्रम में आज दिनांक 15.09.2020 को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द, सहारनपुर के कुशल निर्देशन में थाना देवबंद व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा रंगदारी माँगने वाले अभियुक्त मौहम्मद अंजार पुत्र मजाहिर हसन निवासी मौहल्ला अब्दुल हक कस्बा व थाना देवबन्द, सहारनपुर को तल्लेडी चुंगी कस्बा देवबन्द से समय 21.00 बजे घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन व एक स्विफ्ट डिजायर कार नं० UP11AL-6639 सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबंद पर अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार किया गया अभियुक्त-

1-मौहम्मद अंजार पुत्र मजाहिर हसन निवासी मौहल्ला अब्दुल हक कस्बा व थाना देवबन्द, सहारनपुर।
बरामदगी का विवरण-

- 1-एक अदद मोबाईल सैमसंग J-2 सफेद रंग।
- 2-एक अदद मोबाईल वीवो Y-12 रंग नीला।
- 3-एक स्विफ्ट डिजायर कार नं० UP11AL-6639।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं पहले सऊदी अरब में रहता था, वहां से मैं अपने घर भारत में बात करने के लिए इंटरनेट कालिंग करता था तथा इसी के माध्यम से मैंने मौ० मकबरा कृष्णापुरम थाना देवबंद, सहारनपुर के रहने वाले श्री दीपक त्यागी से 03 लाख की रंगदारी मांगी थी तथा न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। अभियुक्त से अन्य विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम -

- 1-व०उ०नि० श्री सत्येन्द्र राय थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
- 2-उ०नि० श्री असगर अली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
- 3-उ०नि० श्री जयवीर सिंह स्वाट प्रभारी जनपद सहारनपुर।
- 4-उ०नि० श्री अजब सिंह सर्विलांस प्रभारी जनपद सहारनपुर।
- 5-उ०नि० श्री अजय गौड अभिसूचना विंग प्रभारी जनपद सहारनपुर।
- 6-का० 2043 सद्दाम हुसैन थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
- 7-का० 1255 विनित हुडडा एसओजी टीम जनपद सहारनपुर।
- 8-का० 866 मोहित एसओजी टीम जनपद सहारनपुर।
- 9-का 986 अरुण कुमार एसओजी टीम जनपद सहारनपुर।
- 10-का० 249 कुणाल एसओजी टीम जनपद सहारनपुर।
- 11-का० 815 विपिन कौशिक एसओजी टीम जनपद सहारनपुर।

प्रेस विज्ञापित दिनांक 16-09-2020

थाना तीतरो, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भण्डाफोड़, 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र/कारतूस व शस्त्र बनाने उपकरण

बरामद:-

अवगत कराना है, कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15-09-2020 को समय 19:10 बजे थाना तीतरो पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर जंगल ग्राम भावसा से अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चलाते समय एक अभियुक्त को मौके से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र/कारतूस एवं शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना तीतरो पर मु0अ0सं0 153/2020 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-कृष्णपाल पुत्र तेलूराम निवासी ग्राम भावसा थाना तीतरो, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

क0सं0	बरामदगी का विवरण	बरामदगी की संख्या
1	पोना रायफल 315 बोर	02
2	पोना बन्दूक 12 बोर	01
3	तमंचा 315 बोर	01
4	रिवाल्वर 32 बोर	02
5	तमंचे (अर्धनिर्मित) 315 बोर	02
6	जिन्दा कारतूस 315 बोर	29
7	जिन्दा कारतूस 32 बोर	08
8	खोखा कारतूस 12 बोर	06
9	खोखा कारतूस 315 बोर	01
10	ड्रिल मशीन	01
11	शिकंजा	01
12	डाई मशीन	01
13	छोटा गैस सिलेण्डर	01
14	छोटा गैस चूल्हा	01
15	चैम्बर स्कू लोहा	01
16	लोहे की छैनी छोटी बड़ी	02
17	तिकोना बड़ा	01
18	छोटी बड़ी रेती	02
19	आरी छोटी बड़ी	02
20	लकड़ी का गुटका	01
21	लोहे का बर्मा	01
22	लोहे की राड़	01
23	गिट्टी लोहा	01
24	रैगमाल	02
25	लकड़ी की चाप	01
26	लोहे की चाप ब्लैडनुमा	01
27	हथोड़ी	01
28	पैचकस	01
29	लोहे के कटे फ्रेम	06
30	चाबी लोहा	01

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं खुद ही लोगों की डिमाण्ड पर अवैध शस्त्र बनाकर बेचता हूँ। जिसमें तमंचे 4500/-रुपये में, रिवाल्वर 15,000/-रुपये में, रायफल 15,000/-रुपये में व बन्दूक को 17,000/-रुपये में बेचता हूँ। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का असलहा तस्कर है, जो जनपद शामली के गढी पुरखा व गंगोह, सहारनपुर क्षेत्र से पूर्व में जेल जा चुका है। जिसके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। अब तक प्राप्त जानकारी अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है:-

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 155/2008 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना तीतरो, सहारनपुर।
- 2-मु0अ0सं0 162/2008 धारा 110 जी द0प्र0सं0 थाना तीतरो, सहारनपुर।
- 3-मु0अ0सं0 33/2004 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना तीतरो, सहारनपुर।
- 4-मु0अ0सं0 71/2007 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना तीतरो, सहारनपुर।
- 5-मु0अ0सं0 153/2020 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना तीतरो, सहारनपुर।

नोट:-अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1-श्री छोटे सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना तीतरो, सहारनपुर।	6-265 भूपेन्द्र कुमार थाना तीतरो, सहारनपुर।
2-उ0नि0 श्री मुकेश दिनकर थाना तीतरो, सहारनपुर।	7-1539 शब्बू राजा थाना तीतरो, सहारनपुर।
3-का0 604 प्रदीप कुमार थाना तीतरो, सहारनपुर।	8-का0 240 सोनू कुमार थाना तीतरो, सहारनपुर।
4-का0 513 नितिन कुमार थाना तीतरो, सहारनपुर।	9-हो0गा0 संदीप कुमार थाना तीतरो, सहारनपुर।
5-1509 दीपक कुमार थाना तीतरो, सहारनपुर।	